Government of Haryana/हरियाणा सरकार

Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।

सेवा में,

1. राज्य के सभी जिलाधीश(भटठा लाईसैसिंग अथोर्टी)/जिला उपायुक्त।
2. राज्य के सभी जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक।
3. श्री लाल सिंह, प्रधान हरियाणा प्रदेश ब्रिक किलन आनॅर ऐशोसिएशन, मकान नं0 145, सैक्टर-14, सोनीपत।
4. राज्य के सभी जिला भटठा ऑनर ऐशोसिएशन को जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रकों के माध्यम से।

यादि कमांक-2बी.के.5/125/2015/ 3017

दिनांक: 17-2-2017

विषयः- **राज्य में ईट भटठो के चलने की समय सीमा निर्धारित करने बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

वर्तमान में राज्य में ईट भटठों के चलने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है व बरसाती सीज़न को छोडकर ईट भटठे अपनी-2 सुविधा अनुसार आमतौर पर चलते रहते हैं।

सरकार ने ईट भटठों के चलने की समय सीमा निर्धारित करने बारे निम्न प्रस्ताव दिया है:-

"Firetime be fixed from Ist Feb to 30th June every year."

सरकार के उपरोक्त निर्देशों पर हरियाणा भटठा ऑनर ऐशोसिएशन ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 22.12.2016 द्वारा सरकार से निम्न अनुरोध किया है:-

"हमें विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उपरोक्त विषय में हरियाणा सरकार द्वारा भटठों को चलाने की समय अवधि निश्चित करने के बारे में विचार किया जा रहा है क्योंकि हम भटठा मालिक इस विषय से सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। अत: आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर कोई भी निर्णय लेने से पहले हमारा पक्ष भी सुना जाए"

सरकार ने भटठा ऑनर ऐशोसिएशन के उपरोक्त अनुरोध पर विचार करते हुये निर्णय लिया है कि राज्य में ईट भटठों के 1 फरवरी से 30 जून तक—

— 1/2 —

2nd Floor, 30 Bays Building, Sector:17-B, Chandigarh/दूसरी मंजिल, 30 बेज बिलडिंग, सैक्टर-17-बी, चण्डीगढ
Please visit us at http://haryanafood.nic.in
E-mail/ई-मेल: foods@hry.nic.in, foodbrick@gmail.com

Meeting dated 10.08.2015

चलने की समय सीमा निर्धारित करने से पूर्व इस प्रस्ताव पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु विभाग की वेबसाईट (Haryanafood.gov.in) पर अपलोड करने तथा इस बारे सभी भटठा ऑनर ऐशोंसिएशनों को भी सूचित किया जाये ताकि मामले में निर्णय लिया जा सके।

अत: आपसे विनम्र अनुरोध है कि ईट भटठे 1 फरवरी से 30 जून तक चलने की समय सीमा निर्धारित करने के सरकार के प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति/सुझाव 30 दिन के अंदर-अंदर इस विभाग के ई-मेल foodbrick@gmail.com या डाक के माध्यम से निदेशालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, दूसरी मंजिल, 30 बेज बिल्डिंग, सैक्टर-17-बी, चण्डीगढ के पते पर भेजना सुनिश्चित करें ताकि मामले में आगामी कार्यवाही की जानी संभव हो सके।

राज्य के सभी जिला नियंत्रकों से अनुरोध है कि ईट प्रयोंगकर्ताओं की भी यदि कोई ऐशोसिएशन हो तो उन्हें भी उपरोक्त बारे अवगत करवाया जाये ताकि उनसे भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त हो सकें।

उप-निदेशक(ब्रिक किलन), 17/2

कृते: निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पृ0 कमांक-2बी.के.5/125/2015/ 3018 दिनांक: 17-02-2017

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सरकार के विषयाधीन प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति/सुझाव निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, स्थानीय निकाय विभाग।
2. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, छठी मंजिल, नया सचिवालय, सैक्टर-17, हरियाणा, चण्डीगढ
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, कमरा न0 529, पांचवी मंजिल, नया सचिवालय, सैक्टर-17, चण्डीगढ।
4. चैयरमेन, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी-11, सैक्टर-6, पंचकुला।
5. आयुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग, वाणिज्य भवन, प्लाट 1-3/5, पंचकूला।
6. निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, पंचायत भवन, प्लाट 3/सैक्टर 28A चण्डीगढ।
7. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, 30 बेज बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, सैक्टर-17, चण्डीगढ।

उप-निदेशक(ब्रिक किलन),

कृते: निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।